कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय देवास (म.प्र.)

Off. Ph. No. 07272-299061

क्र.फा.नं. ११५ /जिविसेप्रा/ /2026 देवास, दिनांकः २५/04/2026

//भर्ती विज्ञप्ति//

माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र कमांक फा.नं. 337/स्था. /राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर दिनांक 09.04.2026 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुदान अन्तर्गत बहुउपयोगी वाहन के लिए वाहन चालक की संविदा नियुक्ति हेतु पत्र में निर्धारित मानदेय एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों के अनुसार वाहन चालक के लिए संविदा आधार पर 02 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

1.

क्रं.	विवरण	आवश्यक तिथि
1	**आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि**	**25.04.2026**
2	**आवेदन करने की अंतिम तिथि**	**05.05.2026 को शाम 05:00 बजे तक**

2. पदनाम, वेतनमान, संख्या एवं अर्हतायें:-

पदनाम	स्वीकृत पद की संख्या	मासिक मानदेय (रूपये में)	न्यूनतम योग्यता
वाहन चालक (संविदा आधार पर)	01	13,000/-	**01. मान्यता प्राप्त संस्था से 10 वी उत्तीर्ण हो, 02. वैध ड्राईविंग रजिस्ट्रेशन हो, 03. समस्त प्रकार के वाहनों को चलाने का अनुभव हो, 04 ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य मैकेनिक है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।**

टीपः- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय देवास की अधिकारिक वेबसाईट **https://dewas.dcourts.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

4. साक्षात्कार तथा व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट हेतु दिनांक, प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत जिला न्यायालय देवास, की आधिकारिक वेबसाईट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के सूचना पटल पर यथा संभव दिनांक 07.05.2026 के बाद प्रसारित की जाएगी।

5. **आवेदन पत्र, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास** के नाम से संबोधित करते हुए, **पताः- कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, जवाहर नगर चौराहा, ए.बी. रोड देवास पिन- 455001** पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से **दिनांक 05 मई 2026 को शाम 5.00 बजे तक** आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

6. आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज :–

आवेदक, इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छयाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है, यदि किसी अभ्यार्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यार्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

7. आवेदन पत्र का प्रेषण :–

आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की **स्वप्रमाणित** छायाप्रतियों एवं **दो नवीन रंगीन छायाचित्रों** (पासपोर्ट साईज फोटो) के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास** के नाम से संबोधित करते हुए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 05 मई 2026 को शाम 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यार्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

8. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी :–

दिनांक 05 मई 2026 शाम 05.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्कूटनी कार्य किया जाएगा। स्कूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय, देवास की आधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक 07.05.2026 के पश्चात प्रदर्शित की जाएगी।

9. चयन प्रकिया/साक्षात्कार :–

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाऐंगे। चयन प्रकिया में 1 : 3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी, छः माह पश्चात् प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जावेगी। पात्र आवेदकों को चयन समिति/बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन, साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। पद की पात्रता हेतु चयन समिति द्वारा व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट का परीक्षण किया जाएगा। अनुपस्थित रहने की दशा में आवेदकगण को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थिति की दशा में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

10. चयन परिणाम :–

चयन समिति/बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय, देवास की आधिकारिक वेबसाईट https://dewas.dcourts.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक अभ्यार्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी। आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास में संपर्क कर सकते हैं।

नोट :–

अंतिम परिणाम सूची में अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसे की आवश्यक समझा जाए, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास का परिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

11. नियुक्ति के संबंध में :–

चयनित आवेदकों की नियुक्ति म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र कमांक फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के अनुसार **दो वर्ष के लिए संविदा आधार पर** की जाएगी। संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

चयनित आवेदक को पुलिस वैरीफिकेशन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, अदा कर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रस्तुत करना होगा।

12. शुद्धि पत्र :–

उपरोक्तानुसार पदों की भर्ती प्रकिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय देवास की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यार्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

13. आवेदनों का विनष्टीकरण :–

आवेदन पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर व अन्य सामग्री का चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

//चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी//

1. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत वाहन चालक की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर 02 वर्ष हेतु होगी। संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
2. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेज एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर चयन/अभ्यर्थीता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।
5. साक्षात्कार तथा आवश्यक पद हेतु व्यवहारिक ड्राईविंग टेस्ट, दिनांक की सूचना जिला न्यायालय देवास की आधिकारिक वेबसाइट https://dewas.dcourts.gov.in एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण/कार्यवाही किसी पुलिस थाना/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया गया हो तो कार्यवाही के परिणाम/निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
7. पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्त निरस्त कर दिए जाएंगे।
8. पात्र अभ्यर्थियों की सूचना जिला न्यायालय देवास की आधिकारिक वेबसाइट https://dewas.dcourts.gov.in तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी। सूचना न मिलने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास तथा जिला न्यायालय, देवास की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
9. उपरोक्तानुसार भर्ती प्रकिया पूर्ण रूप से माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन अनुसार की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास को होगा।

(रोहित श्रीवास्तव)
सचिव/न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–देवास (म0प्र0)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुदान अन्तर्गत बहुउपयोगी वाहन हेतु संविदा आधार पर वाहन चालक हेतु

//आवेदन पत्र//

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा करें।

आवेदन पत्र कमांक ....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित पद – **वाहन चालक (संविदा आधार पर)**

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) – ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) – ....

2. पिता/पति का नाम – ....

3. जन्म तिथिः – ....आयु– 01.04.2026 को ....वर्ष........ माह........ दिन
(जन्म तिथि के संबंध में आवश्यक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

4. लिंग एवं वैवाहिक स्थिति – पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर – विवाहित / अविवाहित
(सही का निशान लगायें)

5. श्रेणी – ....
(सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. वर्तमान पूर्ण पता – ....
....

7. स्थायी पूर्ण पता – ....
....

8. मोबाईल नंबर, लैंडलाईन – ....
(व्हाट्सएप नंबर सहित)

9. ईमेल आई–डी – ....

10. पेन कार्ड नंबर – ....
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

11. आधार कार्ड नंबर – ....
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. ड्राईविंग लाईसेंस नंबर – ....
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. शैक्षणिक योग्यताऐं – केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

क.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण/वर्ष	प्राप्त प्रतिशत
1	10वीं			
2	12वीं			

(शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंकसूची/डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

14. क्वालिफाईड मैकेनिक योग्यता – ....
(प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

15. पूर्व कार्य/सेवा अनुभव/विशेष योग्यता विवरण – ....
(अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर/–

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

स्व घोषणा पत्र

मैं .... संविदा आधार पर वाहन चालक पद के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ।

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... उम्र ....वर्ष निवासी .... जिला .... राज्य .... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है और मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मैं यह भी अवगत हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर मेरी नियुक्ति हेाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त/रद्द कर दी जाएगी और साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जाएगा। मेरे विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने, न्यायालय तथा अन्य किसी विभाग में कोई आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक :– ....

हस्ताक्षर –

स्थान :– ....

नोटः– यदि कोई आपराधिक प्रकरण/कार्यवाही संस्थित अथवा निराकृत हुई हो तो विवरण एवं दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत करे ।